1 (63)

संख्याः–1382 /XXVIII(1)/2011-18/2011

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान,
श्रीनगर गढ़वाल।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक07 दिसम्बर, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट के अनुदान संख्या–12 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः–मे0का0/बजट/2011–12/4131 दिनांक 12.11.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर में होने वाले विभिन्न व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–05–105 –04–0401–श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना (आयोजनागत) में प्राविधानित बजट से निम्नांकित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में **रू0 1,32,00,000/– (रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नांकित शर्तो के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 हजार में)

लेखाषीर्षक		आयोजनागत		
क	ख	ग	घ	ड.
2210	अनुदान संख्या–12, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आबंटित की जाने वाली धनराशि
05	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105	पाश्चात्य शिक्षा पद्धति			
04	मेडिकल कॉलेज			
0401	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना			
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1500	500	500
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20000	5000	5000
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3000	1000	1000
31	सामग्री और सम्पूर्ति	5000	2000	1500
39	औषधि तथा रसायन	10000	5000	5000
44	प्रशिक्षण व्यय	1000	0	200
	योग	**40500**	**13500**	**13200**

2– उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमो का पालन किया जायेगा एवं

भुगतान करने हेतु अन्य शर्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–435/XXVIII(1)/2011-18/2011 दिनांक 06.05.2011 के अनुसार रहेगी।

3– स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त क्रय/अधिप्राप्ति प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी तथा इस हेतु तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही व्यय करने से पूर्व जिन प्रस्तावों पर शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनका वित्त नियंत्रक के माध्यम से स्वीकृति के पश्चात् ही आहरण/व्यय किया जायेगा।

4– भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मितव्ययिता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है।

5– उक्त के सापेक्ष होने वाला व्यय ऊपर उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–289(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक. 05 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड़, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल,पौडी उत्तराखण्ड।
3– निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
6– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
7– वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
8– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
9– वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–03/ नियोजन विभाग/एन0आई0सी।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।